


11.4.17

पञ्जाबी मूल्य वाद के साथ पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील  
उपस्थित। इस प्रकरण से संबंधित मूल्य वाद का निहत्तारण हो  
सुका है अतः इस प्रकरण की कार्यवाही से आगे बढ़ाना  
उचित प्रतीत नहीं होता है। पञ्जाबी फौज सुमार होकर के  
द्वारिपत्र रफ्तार हो।

  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बलोटप